UPSB010004402026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–1, सोनभद्र।

पीठासीन अधिकारी– संदीप गुप्ता–II, एच0जे0एस0 (जे.ओ. कोड–UP 2636)

विशेष दाण्डिक वाद संख्या–113/2026,

उत्तर प्रदेश राज्य।

.....अभियोगी।

बनाम

राम सेवक पुत्र नागेश्वर, निवासी ग्राम व पोस्ट पौनी, थाना रायपुर जनपद सोनभद्र।

.....अभियुक्त।

मुकदमा अपराध संख्या–558/2022,
धारा–138(1)(बी) भारतीय विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003,
थाना–एंटी पावर थेफ्ट, जनपद सोनभद्र।

–: निर्णय :–

1– प्रस्तुत विशेष दाण्डिक वाद से सम्बन्धित अपराध में थाना एंटी पावर थेफ्ट, जनपद सोनभद्र की पुलिस द्वारा अभियुक्त राम सेवक के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या –558/2022, अन्तर्गत धारा–138(1)(बी) भारतीय विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003 के अपराध के विचारण हेतु आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। तत्कालीन विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–1 सोनभद्र द्वारा दिनांक 28.01.2026 को अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया है।

2– अभियोजन कथानक संक्षेप में यह है कि दिनांक 25.05.2022 को वादी मुकदमा संजय सिंह, अवर अभियन्ता, 33/11 के0वी0 उप केन्द्र दूबेपुर सोनभद्र द्वारा हमराही दीपक कुमार प्रजापति टी0जी0–2 (विद्युत) के साथ विद्युत चोरी चेकिंग हेतु थाना रायपुर क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम व पोस्ट पौनी में राम सेवक पुत्र नागेश्वर के परिसर का समय करीब 15:50 बजे निरीक्षण किया गया। उपभोक्ता के एकाउन्ट संख्या–751719988784 विधा एल0एम0वी0 01 भार–01 किलो वाट को विद्युत विभाग द्वारा रू0 67,437/– बकाया होने के कारण दिनांक 11.05.2022 को विच्छेदित किया गया था। चेकिंग के दौरान उपभोक्ता द्वारा बिना विद्युत बिल का भुगतान किये तथा बिना विभागीय अनुमति के यू0पी0पी0सी0एल0 की लाइन से केबिल को पुनः जोड़ कर विद्युत का उपभोग करते हुये पाया गया था। उक्त आधार पर उपभोक्ता के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही करने की याचना की गयी है।

3– वादी मुकदमा संजय सिंह, अवर अभियन्ता, 33/11 के0वी0 उप केन्द्र दूबेपुर सोनभद्र की तहरीर के आधार पर थाना एंटी पावर थेफ्ट, जनपद सोनभद्र में अभियुक्त राम सेवक के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–558/2022, अन्तर्गत धारा–138(1)(बी) भारतीय विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003 के तहत दिनांक 26.05.2022 को समय 13:50 बजे चिक किता की गयी जिसकी प्रविष्टि

Digitally signed by Sandeep Gupta
Date: 2026.06.22 13:39:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court
Sonbhadra

सम्बन्धित थाने की पुलिस द्वारा दिनांक 26.05.2022 के जी0डी0 संख्या–08 में समय 13:50 बजे की गयी है।

4– मामले में विवेचक नियुक्त हुये। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण करके नक्शा नजरी तैयार किया गया। सम्बन्धित साक्षियों का बयान अंकित किया गया। पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्त राम सेवक के विरूद्ध धारा–138(1)(बी) भारतीय विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003 के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

5– अभियुक्त को आहूत किया गया। वह उपस्थित अदालत आया। राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को आरोप के बिन्दु पर सुन कर दिनांक 01.06.2026 को अभियुक्त राम सेवक के विरूद्ध धारा–138(1)(बी) भारतीय विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003 का अपराध पाते हुये उक्त धारा में आरोप विरचित किया गया। उक्त आरोप अभियुक्त को पढ़ कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की मॉग की।

6– अभियोजन की ओर से अपने कथानक और अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप को साबित करने के लिये मौखिक साक्षी के रूप में बतौर पी0डब्लू0–1 आनन्द कुमार, कार्यकारी सहायक, विद्युत वितरण खण्ड राबर्टसगंज सोनभद्र को परीक्षित कराया गया है।

7– अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड राबर्टसगंज, सोनभद्र द्वारा प्रेषित पत्रांक–2308/वि0वि0ख0रा0/विद्युत चोरी दिनांकित 18.03.2026 कागज संख्या 12–क को **प्रदर्श क–1** के रूप में साबित कराया गया है। इसके अलावा अभियोजन प्रपत्रों आरोप पत्र, चिक एफ0आई0आर0, तहरीर वादी मुकदमा, कायमी मुकदमा जी0डी0, नक्शा नजरी घटना स्थल दाखिल किया गया है।

8– अभियोजन पक्ष का साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात् अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया। अभियुक्त राम सेवक ने अभियोजन कथानक को गलत बताया। साक्षी पी0डब्लू0–1 आनन्द कुमार, कार्यकारी सहायक, विद्युत वितरण खण्ड राबर्टसगंज सोनभद्र के बयान को सही बताते हुये यह कहा है कि समस्त बकाया शून्य है। मुकदमा झूठा चलना बताया। सफाई साक्ष्य देने से इन्कार करते हुये और कुछ कहने से भी इन्कार किया है।

9– राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक तथा प्रलेखीय साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन किया गया।

10– अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप को साबित करने के लिये अभियोजन

की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0–1 आनन्द कुमार, कार्यकारी सहायक, विद्युत वितरण खण्ड राबर्टसगंज, सोनभद्र द्वारा अपने बयान में यह कथन किया गया है कि अभियुक्त राम सेवक के विरूद्ध थाना एन्टी पावर थेफ्ट, जनपद सोनभद्र में मुकदमा अपराध संख्या–558/2022, अन्तर्गत धारा–138(1)(बी) भारतीय विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003 के तहत अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त द्वारा एक मुश्त समाधान योजना के तहत शमन शुल्क रू0 2,000/– दिनांक 16.03.2026 को, विद्युत बिल रू0 40,649/– दिनांक 13.03.2026 को, विद्युत बिल रू0 820/– दिनांक 13.02.2026 को, विद्युत बिल रू0 1,291/– दिनांक 13.02.2026 को व राजस्व निर्धारण रू0 758/– दिनांक 16.03.2026 को विद्युत विभाग में जमा कर दिया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध अद्यतन बकाया शून्य है। साक्षी ने अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड राबर्टसगंज, सोनभद्र द्वारा प्रेषित पत्रांक–2308/वि0वि0ख0रा0/विद्युत चोरी दिनांकित 18.03.2026 कागज संख्या 12–क को **प्रदर्श क–1** के रूप में साबित किया है।

11– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त राम सेवक के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या –558/2022, अन्तर्गत धारा–138(1)(बी) भारतीय विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003 के तहत थाना एन्टी थेफ्ट जिला सोनभद्र में दिनाक 26.05.2022 को अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसमे विवेचना के उपरान्त उक्त धारा में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। आरोप पत्र न्यायालय में प्राप्त होने के उपरान्त प्रस्तुत मामला विशेष दाण्डिक वाद संख्या–113/2026 के रूप में पंजीकृत किया गया। पत्रावली में दाखिल कागज संख्या 12–क अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड राबर्टसगंज, सोनभद्र द्वारा प्रेषित पत्रांक–2308/वि0वि0ख0रा0/विद्युत चोरी दिनांकित 18.03.2026 के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त द्वारा एक मुश्त समाधान योजना के तहत शमन शुल्क रू0 2,000/– दिनांक 16.03.2026 को, विद्युत बिल रू0 40,649/– दिनांक 13.03.2026 को, विद्युत बिल रू0 820/– दिनांक 13.02.2026 को, विद्युत बिल रू0 1,291/– दिनांक 13.02.2026 को व राजस्व निर्धारण रू0 758/– दिनांक 16.03.2026 को विद्युत विभाग में जमा कर दिया गया है। अधिशासी अभियन्ता द्वारा उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त मुकदमा से सम्बन्धित कोई भी बकाया अवशेष नहीं है और उपभोक्ता के विरूद्ध अद्यतन बकाया शून्य है। साक्षी पी0डब्लू0–1 आनन्द कुमार द्वारा अधिशासी अभियन्ता के उपरोक्त पत्र को **प्रदर्श क–1** के रूप में साबित किया गया है।

12– उपरोक्त विवेचना तथा पत्रावली के अवलोकन से यह साबित होता है कि अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत मामले से सम्बन्धित विद्युत बकाया धनराशि विद्युत विभाग में जमा

किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त राम सेवक लगाये गये उपरोक्त आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

विशेष दाण्डिक वाद संख्या–113/2026, मुकदमा अपराध संख्या–558/2022, अन्तर्गत धारा–138(1)(बी) भारतीय विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003, थाना एंटी पावर थेफ्ट, जनपद सोनभद्र के मामले में अभियुक्त राम सेवक को दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है, उसके जमानत बन्ध पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूओं को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

दिनांक–22.06.2026

(संदीप गुप्ता–II)

अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट संख्या–1,
सोनभद्र।

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–22.06.2026

(संदीप गुप्ता–II)

अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट संख्या–1,
सोनभद्र।